देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ....1131..... /भू अ० दिनांक : 23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—चकनवादा, थाना—देवीपुर, थाना सं०—347, अंचल—देवीपुर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **मधुपुर (सरवन मेन रोड) कजरा से घसको मोड़ भाया बागजोरा बंशटोली बेरहन तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—चकनवादा, थाना—देवीपुर, थाना सं०—347, अंचल—देवीपुर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.64** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	194	रैयती	धानी—3	0.03	रूपलाल मेहरा पे० स्व० मधोली मेहरा। सा० देह।	गोईठाडीह, 337	चकबधजोरा, 350	मड़िकयारी, 338	माधवपुर, 348
2	2	195	रैयती	बाड़ी—2	0.07	तथैव				
3		203	रैयती	बाड़ी—2	0.01	मुस्तवाहा				
4	3	8	रैयती	बाड़ी—2	0.05	सिलधर राय वो बिजय राय पे० स्व० संतु राय। सा० देह।				
5	3	18	रैयती	बाड़ी—2	0.04	तथैव।				
6	3	19	रैयती	धानी—3	0.03	तथैव।				
7	3	44	रैयती	बाड़ी—2	0.04	तथैव।				
8	3	192	रैयती	धानी—1	0.03	तथैव।				
9	3	177	रैयती	धानी—1	0.03	तथैव।				
10	3	2	रैयती	बाड़ी—2	0.01	कामदेव राय वो रामदेव राय वो जन्मजय राय वो अरूण राय वो अमीन राय पे० स्व० गोवर्धन राय वो प्रसादी राय पे० स्व० लखी राय वो बंगलू राय वो नन्दकिशोर राय वो मुकेश राय पे० स्व० सकी राय। सा० देह।				
11	3	14	रैयती	बाड़ी—2	0.01	तथैव।				
12	3	16	रैयती	बाड़ी—2	0.02	तथैव।				
13	3	26	रैयती	धानी—1	0.03	तथैव।				
14	3	175	रैयती	धानी—1	0.02	तथैव।				
15	3	17	रैयती	बाड़ी—2	0.01	मदनमोहन राय पे० स्व० कार्तिक राय वो श्याम सुन्दर राय वो राजेन्द्र राय वो शिवशंकर राय वो धीरेन्द्र राय वो प्रमोद राय वो पे० स्व० सिगेश्वर राय। अंश समान सा० देह।				
16	3	42	रैयती	धानी—2	0.01	तथैव।				
17	3	201	रैयती	धानी—2	0.08	तथैव।				
18	3	174	रैयती	धानी—2	0.01	तथैव।				
19	3	1	रैयती	बाड़ी—2	0.01	दशरथ राय पे० स्व० भुमेश्वर राय। सा० देह।				
20	3	9	रैयती	बाड़ी—2	0.01	तथैव।				

21	3	15	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
22	3	27	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
23	3	176	रैयती	धानी–1	0.03	तथैव।				
			कुल रकवा–		**0.64**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

16/10/19 जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर | 22/10/19 अपर समाहर्त्ता देवघर | 24/10/19 समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 1131 /भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16/10/19 जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर | 22/10/19 अपर समाहर्त्ता देवघर | 24/10/19 समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।